[12/7/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 1012]

परिशिष्ट

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1012 द्वारा श्री यशपालसिंह सिसौदिया माननीय सदस्य विधानसभा

1. 15 मार्च को 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' एवं 24 दिसंबर को 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' के आयोजनों में जिलों में उपलब्ध स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी कर जिलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रचार-प्रसार,उपभोक्ता से संबंधित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी,संगोष्ठी में विषय-विशेषज्ञों दवारा उपभोक्ता जागरूकता संबंधी जानकारी उपभोक्ताओं को दी गयी।
2. 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर उपभोक्ता हितो के संवर्धन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को राज्य/संभाग स्तरीय एवं विदयालयीन छात्र/छात्राओं को निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कर उत्कृष्ट प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रथम/दिवतीय/तृतीय प्रदाय किया गया।
3. विभागीय कार्ययोजना अंतर्गत उपभोक्ता क्लब एवं उपभोक्ता मित्र योजना हेतु 10 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई।
4. उपभोक्ता आयोगो में उपभोक्ता परिवादों की कम संख्या होने के दृष्टिगत जिलों यथा निवाडी, अलिराजपुर, सिंगरौली, अनूपपुर,उमरिया, बडवानी, रायसेन, डिंडोरी , पन्ना, झाबुआ, बैतुल, सीधी, शहडोल, बालाघाट, टीकमगढ, देवास, बुरहानपुर, धार, खरगोन, नीमच एवं छिंदवाडा में उपभोक्ता जागरूकता/उपभोक्ता परिवाद जागरूकता परियोजना संचालित करने हेतु इच्छुक रजिस्ट्रीकृत एजेंसी/ स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन/संस्था एवं आदिवासी बाहुल्य जिलों में शासकीय मान्यता प्राप्त विदयालय संचालनकर्ता संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी।
5. प्रदेश में उपभोक्ताओं को सलाह प्रदान किये जाने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु मार्गदर्शन के उद्देश्य से राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन के संचालन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति जारी कर स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से आवेदन आमंत्रित किये गये।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग